

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहदहेज हत्या के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दि0 -16.07.22 को वादिनी श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी स्व0 किसनाथ ग्राम खुदौली थाना खेतासराय जिला जौनपुर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि मेरी की पुत्री चन्द्रकला की शादी दिनांक 18/06/2020 को संतोष कुमार पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के साथ हुयी थी एवं चन्द्रकला के पति संतोष कुमार, ससुर रामआसरे, सास शीला देवी व देवर प्रदीप कुमार द्वारा दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित किया गया व पंचायत होने के बाद भी न माना गया तथा दिनांक 14/07/2022 को जहर देकर चन्द्रकला को मार दिया गया, के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0- 242/22 धारा 498ए/304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1-संतोष कुमार पुत्र रामआसरे 2- रामआसरे पुत्र अज्ञात 3-शीला देवी पत्नी रामआसरे 3- प्रदीप कुमार पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2.गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 16.07.22 को प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शीला देवी पत्नी रामआसरे निवासी चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. संतोष कुमार पुत्र रामआसरे सा0 ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. प्रदीप कुमार पुत्र रामआसरे सा0 ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम चिकसावा से समय 10.10 बजे लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 242/22 धारा 498ए/304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता –

- 1- संतोष कुमार पुत्र रामआसरे ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 2- शीला देवी पत्नी रामआसरे ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 3- प्रदीप कुमार पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम

संजय सिंह (व0उ0नि0) विनोद मौर्या (मुख्य आरक्षी) का0 कृष्णचन्द, (आरक्षी) का0 बृजेश गौड़ ,(आरक्षी) म0आ0 सुषमा सिंह मय वाहन (महिला आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- तहबरपुरसिर पर पेचकश से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- वादी मुकदमा श्री मनोज कुमार पुत्र राम लखन ग्राम दासोपट्टी थाना तहबरपुर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 15.7.2022 को 4.00 बजे शाम को मेरे ही गांव का विक्की पुत्र मूलचन्द शराब के नशे मे आया पेचकश से मेरे सिर पर मारा जिससे वादी का सिर फट गया और जान मारने की घमकी देकर भाग गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/22 धारा 308,506 भादवि की विवेचना उ0नि0 अंगद सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.07.2022 को उ0नि0 अंगद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विक्की सरोज पुत्र मूलचन्द पासवान साकिन दासोपट्टी, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 10.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 138/22 धारा 308,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

विक्की सरोज पुत्र मूलचन्द पासवान साकिन दासोपट्टी, थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 अंगद सिंह का0 अखिलेश यादव थाना तहबरपुर, आजमगढ़

थाना- फूलपुर

अबैध देशी तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.07.2022 उ0नि0 श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मुडियार ग्राम में पंचायत भवन से पहले स्थित मोबाईल टावर के पास से जीशान पुत्र अली अहमद साकिन मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर। अभियुक्त जीशान उपरोक्त को समय 19.35 बजे उसके अपराध का बोध कराते हुए बकायदा बाजफता पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 243/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा -

243/2022 धारा 3/25 आर्म्स थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1.071/2016 धारा 379 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

2.279/2019 धारा 307/336/34 भादवि व 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ़

3.134/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

4.243/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जीशान अहमद पुत्र अली अहमद साकिन मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह का0 विनोद यादव का0 सोनू यादव थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

अबैध तमन्चा व कारतूस के साथ के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.07.2022 को उ.नि. सूर्यभान सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त गोलू विश्वकर्मा पुत्र सुरेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम खासपुर पोस्ट कोइरियापार थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ को कंजरा मोड़ के पास से समय 04.35 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद अबैध तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0-461/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0-461/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0-461/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी - एक अदद अबैध तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त -

गोलू विश्वकर्मा पुत्र सुरेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम खासपुर पोस्ट कोइरियापार थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.उ.नि. सूर्यभान सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

2. का0 ज्ञानेन्द्र गुप्ता थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

3. का0 अश्वनी कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना- निजामाबाद

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 14.07.2022 को वादी अदनान पुत्र इरशाद निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 309/22 धारा 323,504,506,455,308,354,354घ,34 भादवि थाना निजामाबाद बनाम रुस्तम पुत्र इजराहुलहक आदि 07 नफर निवासीगण फरहाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक- 16.07.2022 को उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी कि नामजद अभियुक्त असरे आलम पुत्र इजहारूल हक सेण्टरवा तिराहे के पास से समय लगभग 11.05 पर अभियुक्त असरे आलम पुत्र इजहारूल हक निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान लोहे की पाईप नुमा राड को अभियुक्त के निशांदेही पर बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0 309/22 धारा 323,504,506,455,308,354,354घ,34 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

असरे आलम पुत्र इजहारूल हक निवासी फराहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी का0 तरुण पाण्डेय का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.07.22 को उ0नि0 उमेश चन्द्र मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चेकपोस्ट तिराहे पर मौजूद थे कि एक व्यक्ति पुलिस वालों के देखकर मुड़कर भागना चाहा जिसे पुलिस वाले शक के आधार पर दौड़ाकर घेर घारकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ संजय तिवारी उर्फ संजू पुत्र रामगद्दी निवासी दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ से समय करीब 20.30 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मै दिनांक 14.07.22 को ग्राम दिलौरी में सतीश सिंह के घर जाकर तमन्चा सटाकर रंगदारी में 15000 रुपये की मांग कर रहा था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 227/2022 धारा 3/7/25 A. ACT थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 227/2022 धारा 3/7/25 A. ACT थाना रानी की सराय आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 224/2022 धारा 384 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय तिवारी उर्फ संजू पुत्र रामगद्दी निवासी दिलौरी थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 उमेश चन्द्र मय हमराह का0 शिवकुमार चौधरी व का0 राकेश गौड़ थाना रानी की सराय आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेहनाजपुर

हत्या के सम्बन्ध में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

आज दिनांक- 16.07.2022 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 111/2015 धारा 147/148/302/323/325/425 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. कमलेश कुमार पुत्र स्व0 गौरी शंकर, 2. सुग्गा देवी पत्नी गौरी शंकर, 3. प्रियंका देवी पत्नी कमलेश कुमार को दोषसिद्ध करते हुए समस्त निवासी खुशनानपुर थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना 10-10 हजार रूपया लगाया गया, जुर्माना देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया जायेगा।